

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 170/2014 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2014/00134)

अनवान:

1. भागसिंह पुत्र श्री गुरुबक्स सिंह जाति जट सिख निवासी 2 एफ एफ श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. हरनेक सिंह पुत्र महल सिंह जाति जटसिख निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
2. दिलबाग सिंह पुत्र महल सिंह जाति जटसिख निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान।

28.08.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत ने दौराने बहस अवगत कराया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) गंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2007 पारित कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलांत ने इस न्यायालय में अपील पेश की। दौराने बहस रेस्पोजेन्ट सं. 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यदि अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए इंतकाल वसीयत आदेश यथावत रखा जाता है तो रेस्पोजेन्ट्स को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोजेन्ट्स ने अपील अपीलांत को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। पूर्व में पारिवारिक विवाद होने के कारण रेस्पोजेन्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील कर दी गई थी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर वसीयत इंतकाल यथावत रखा जावे।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व रेस्पोजेन्ट सं. 1, 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2007 पारित कर वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल को खारिज कर दिया तथा प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। रेस्पोजेन्ट अब इस अपील को कन्टेस्ट करना नहीं चाहते हैं तथा अपील अपीलांत स्वीकार किये जाने पर अपनी लिखित सहमति व्यक्त की है। उक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता गंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2007 निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन वसीयत इंतकाल यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

